न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 56/अपील/18 तारीख दायरा 24.04.18

देवीलाल आ0 मायाराम लोढा निवासी महुआखेडा तहसील अकलेरा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 06.03.18 मि0न0 197/18

उपस्थितः– श्री कुलेन्द्र नागर अभिभाषक अपीलान्ट

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

–:: निर्णय ::– दिनांक 25.05.18

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 06.03.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम महुआखेड़ा के आराजी ख0न0 32 की 1 बीघा भूमि पर अतिकमी मानते हुवे उक्त आराजी भूमि से बेदखल किये जाने एवं 55/रू0 जुर्माना व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया है–प्राथी द्वारा उक्त आराज़ी पर से कब्जा छोड़ दिया है ओर पेनल्टी राशि भी जमा करा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा पूर्व में ही हटा लिया है व पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है–भविष्य में पुनः अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया जावेगा दौराने बहस उनके द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.18 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। वकील अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया एवं भविष्य में अपीलान्ट द्वारा पुनः कब्जा नही करने हेतु कहा है। अतः इसलिये हमारी राय में अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है–परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर शेष निर्णय यथावत रखा जाता है–निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे–पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़